the Roller Flour Millers. This will be a better proposition to realize value addition for the country instead of exporting wheat as such.

10. Schemes of assistance available for market development, publicity, literature, brand promotion, packaging development, quality control, specialized consultancy services for ISO 9000 organization, building and HRD journals etc. with APEDA must be popularized.

11. At each depot and district headquarters, FCI should arrange the display of wheat stocks variety-wise on daily basis to facilitate planning by bulk consumers.

12. Establ'shment of Silos for bulk storage of wheat and creation of the commodity exchanges by the Government should be considered in order to facilitate domestic and export commitments by the trade.

13. Installation of e'ermine equipment and improved handling methods should be introduced for grading of wheat at a reasonable cost at Mandies. Bulk handling of wheat must be introduced at Mandies to cope up with large quantities of wheat during procurement season.

14. Bulk users of wheat must be allowed to buy directly from farmers/contract farming without going through Mandies after paying the necessary mandi charges.

15. Distribution of wheat products like Wheat, Atta, Maida, Suji in the Public Distribution System (PD3) should be resorted to instead of wheat grain alone in two stages. Firstly, the scheme is to be introduced in large cities/towns with population of more than 5 lakhs and then extended to smaller towns as a second stage. This will facilitate enrichment of wheat products with Vitamins and other nutrients for the benefit of the weaker sections.

16. Doordarshan/AIR should encourage Education Programmes to be telecast/ broadcast on wheat based foods for the benefit of consumers and help in populariz ing wheat consumption in non-wheat growing States.

भारतीय खाद्य निगम ओर केस्रोय शश्वउत्पार निगज की मण्डारण क्षमता

4088. श्री खिस नाभाई हरिभाई शुक्त : क्या बाद्य मंत्री 18 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अता-रांकित प्रश्न 3355 और 3368 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की ्मा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय जाण्डा-गार निगम की कुल कितनी भण्डारज अमता का उपयोध किया जा रहा है; और अप्रयुक्त अण्डारण क्षथता का ब्यीरा क्या है; (ख) भण्डारण क्षमता को उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त निगमों के अन्तर्गत कुछ और गोदामों/भाग्डागारों की स्थापत्र। करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और इससे कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सूचन होगा ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कस्य नाथ राथ): (क) पहली भार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य नियम और केम्द्रीथ भण्डारेण निगम के गोशमो/भाष्डाधारी की कुल भण्डारण क्षमता जौर उनके उत्परेल की प्रतिशतता निम्नानुमार थी :--

	भण्डारज क्षमत। (लाख मोटरी टन में)	
দাহ রায় জারা লিনন	236.23*	81
केन्द्रीय भण्डारण विभ	4 65.86	76

*केर्ग्राय मण्डारण लिगम से किराये पर ली गई 23.89 लाख भीटरी टन की क्षमता शामिज है।

(13) भारतीय खाद्य लिगम में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ढारा यथा अभिस्तावित अमत। उप-योग के लिए मानदण्ड 75 प्रतिशत है। इसकी तुलना में भारतीय खाद्य निगन में वर्तमान कमता उपयोग 81 प्रतिशत है। भारतीय खाद्य निभम ढारा खाद्यान्नों का पम मण्डारण करने, आवातित सामान की कस्टम याडिंग के संबंध में सरकार की नीति में परिवर्तन कर देने, आदि की कह से हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय मण्डारण निगम के भाण्डागारों के क्षमता उपयोग में पिराइट आई है। तथापि, केन्द्रीय भण्डारण निगम ने इस कमी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं आर इनके फलर रूप झनता उपयोग, जो 1-3-93 को 67 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहंच गया।

(ग) और (घ) जी, हाँ।

भारतीय खाद्य निगम का 1994-95 के दौरान 21 क्रोड़ रुपये के परिव्यय से 1.04 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताय है। केन्द्रीय अण्डारण निगम की 1994-95 के दौरान 14 परोड़ रूपये के परिष्थय से 70,000 मीहरी टन की क्षमता का निर्माण करने की योजना है।